निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 546) पटना, बुधवार, 9 सितम्बर 2020

परिवहन विभाग

अधिसूचना

9 सितम्बर 2020

सं0–03/प्र0 (विविध)–12/2020–6480/परि0—दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास, वहाँ रहने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने, ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के सृजन एवं इसके विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या–5732, दिनांक–05.09.2018 द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई है।

उक्त अधिसूचना संख्या–5732, दिनांक–05.09.2018 की कंडिका–2 के निम्नलिखित वाक्यांश–

"इस योजना के अधीन प्रत्येक पंचायत के लिए 05 (पाँच) योग्य वाहनों की खरीद पर, जिसमें तीन अनुसूचित जाति/जनजाति तथा दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों हेतु होंगे, अनुदान दिया जाएगा।"

को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–

"इस योजना के अधीन प्रत्येक पंचायत के लिए 07 (सात) योग्य वाहनों की खरीद पर, जिसमें चार अनुसूचित जाति/जनजाति तथा तीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों हेतु होंगे, अनुदान दिया जाएगा।"

2. शेष तथ्य पूर्ववत रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 546-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in